उपायुक्त का न्यायालय, कोडरमा

म्युटेशन रिवीजन वाद संख्या– 32 / 2018

मुस्तफा मियाँ एवं 4 अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं 11 अन्य

04.3.21

आदेश

आवेदक मुस्तफा मियाँ, मो0 मुमताज, मो0 इम्तयाज, मनौवर हसन, चारों के पिता–स्व0 अब्दुल रहमान, साकिन– बेहरवाटाँड़, पोस्ट+थाना– कोडरमा, जिला–कोडरमा एवं अब्दुल करीम, पिता– स्व0 मो0 मियाँ साकिन– असनाबाद, पोस्ट– करमा, थाना– तिलैया, जिला–कोडरमा के द्वारा विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, कोडरमा द्वारा विविध वाद संख्या–01 / 2018–19 में दिनांक 10.07.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील वाद दायर किया गया है।

आवेदक का कहना है कि विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, कोडरमा द्वारा उनके पक्ष को सही ढ़ंग से सुने बगैर ही आदेश पारित किया गया है।

अतः वाद की प्रविष्टी करते हुए निम्न न्यायालय का अभिलेख मंगवाकर पुनः सुनवाई कर भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, कोडरमा द्वारा विविध अपील वाद संख्या–01 / 2018–19 में दिनांक 10.07.2018 को पारित आदेश को निरस्त करने एवं आवेदक के आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

आवेदक के आवेदन के साथ निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अभिप्रमाणित प्रति एवं वकालतनामा संलग्न किया गया हैं।

आवेदक के आवेदन का अवलोकन कर वाद की कार्रवाई प्रारंभ करते हुए दोनों पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया। निम्न न्यायालय से अभिलेख मंगवाकर सुनवाई प्रारम्भ की गई। उभय पक्षों द्वारा अधोहस्ताक्षरी न्यायालय में उपस्थित होकर अपना–अपना पक्ष रखा गया। दिनांक 04.03.2021 को सुनवाई के दौरान विपक्षी द्वारा आवेदन दिया गया कि इसी विवादित भूमि का वाद माननीय मुंसीफ न्यायालय, व्यवहार न्यायालय कोडरमा में चल रहा है। अतः उनके द्वारा इस रिवीजन को समाप्त करने का अनुरोध किया गया।

आवेदक द्वारा दायर किये गए आवेदन एवं अन्य कागजात का अवलोकन किया। चूंकि यह मामला मुंसीफ न्यायालय में भी विचाराधीन है, अतः एक प्रकार का वाद दो भिन्न न्यायालय में संचालित करने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

Digitally signed by PARAS NATH YADAV
Date: 2021.10.01 04:21:51 -07:00
Location: 192.168.21.118

लेखापित एवं संशोधित

4/3/21

उपायुक्त, कोडरमा।

उपायुक्त का न्यायालय कोडरमा सत्यमेव जयते

4/3/21

उपायुक्त,
कोडरमा।